भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 385
दिनांक 27 मार्च, 2025

एलपीजी की बड़े पैमाने पर ढुलाई के लिए ओएमसी द्वारा जारी निविदा

***385. श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलपीजी की बड़े पैमाने पर ढुलाई के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई निविदा में कई ऐसे ट्रांसपोर्टरों को भी एलपीजी की ढुलाई का कार्य आदेश दिया गया था जो एमएसएमई प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 2018 की निविदा को वर्ष 2023 में दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और यदि हां, तो ऐसा समय विस्तार किस खंड और नियम के तहत दिया गया था?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"एलपीजी की बड़े पैमाने पर ढुलाई के लिए ओएमसी द्वारा जारी निविदा" के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा दिनांक 27.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 385 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियाँ (ओएमसीज) महारत्न उपक्रम हैं। वे बोर्ड द्वारा संचालित वाणिज्यिक कम्पनियाँ हैं और सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं, जिन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने में पूर्ण रूप से प्रचालन स्वतंत्रता प्राप्त है। ओएमसीज अपने सम्बन्धित बोर्ड के निर्णयों के आधार पर अपनी लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाएँ बनाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के निमित्त निविदाओं और संविदाओं से जुड़ी प्रक्रियाएँ ओएमसीज के वाणिज्यिक निर्णय हैं और वह पूरी तरह से उनके अधिकार-क्षेत्र और क्षमता के अंतर्गत हैं और इसलिए वे उन पर उचित निर्णय लेती हैं। ओएमसीज उपभोक्ताओं को सुरक्षित, प्रभावी और मितव्ययी तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के उद्देश्य से अधिप्राप्ति निविदाएँ प्रारूपित करती हैं।

ओएमसीज ने वर्ष 2018 में थोक एलपीजी परिवहन निविदाएँ आमंत्रित कीं, जो उस समय प्रवृत्त एमएसएमई अधिनियम, न्यायालयी आदेशों और लागू विनियमों का पूर्णतया अनुपालन करती थीं। दिनांक 01.09.2018 से प्रभावी संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से जुड़े प्रावधानों के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। इस मामले का समाधान करने के लिए, ओएमसीज ने उन ट्रांसपोर्टरों, जिन्होंने सात या अधिक टैंक-ट्रकों के साथ एमएसई श्रेणी के अधीन बोली लगाई थी, को निर्देश दिया कि वे अपने एमएसई प्रमाणपत्र को एमएसएमई प्राधिकारियों से सत्यापित करवाएँ। कई ट्रांसपोर्टर इसका पालन करने में विफल रहे, जिसके कारण ओएमसीज ने उनके संविदा समाप्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस निर्गत किया। इसके प्रत्युत्तर में, प्रभावित ट्रांसपोर्टरों ने विभिन्न न्यायालयों में मामले दायर किए। न्यायालयी आदेशों के आधार पर ट्रांसपोर्टरों के एमएसएमई प्रमाण-पत्रों का पुनर्सत्यापन किया गया। जिन ट्रांसपोर्टरों ने पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किए, उन्हें प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी गई। कुछ ट्रांसपोर्टर जिन्होंने अपने क्रेडेंशियल सत्यापित नहीं कराए थे, उन्होंने अपने प्रस्तावित ट्रकों पर न्यायालयों से निषेधाज्ञा/स्थगन-आदेश प्राप्त कर लिया और इस प्रकार उन्हें प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी गई।

(ग): थोक एलपीजी परिवहन संविदा दिनांक 01.09.2018 से प्रभावी हुआ और पाँच वर्षों के लिए वैध था। संविदा के चलन के दौरान कोविड महामारी आई। वर्ष 2022-23 के दौरान नए परिवहन निविदा को अंतिम रूप देते समय, उद्योग कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) ने ट्रांसपोर्टरों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान निर्माणाधीन कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं और नई निविदा में टैंक ट्रकों की आवश्यकता पर उनके प्रभाव के मुद्दे आए। वर्ष 2018 का निविदा प्रपत्र ट्रांसपोर्टरों की सहमति के अधीन संविदा को विस्तार देने की अनुमति देता है। व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों से प्राप्त लिखित सहमति के आधार पर, ओएमसीज और सम्बन्धित ट्रांसपोर्टरों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौतों के विस्तार के माध्यम से ओएमसीज ने थोक एलपीजी परिवहन संविदाओं को विस्तारित करने का निर्णय लिया। कुछ ट्रांसपोर्टरों ने मद्रास उच्च न्यायालय में उक्त विस्तार को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 4 अप्रैल, 2023 के अपने आदेश में विस्तार की वैधता को बरकरार रखा और इसे आधारहीन मानकर विस्तार की वैधता की पुष्टि करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

***